अपील

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

रेवंती देवी बनाम राजस्थान सरकार व अमीलाल आदि

प्रकरण संख्या :– 109/2025 जीसीएमएस न. 2025/

किस्म मुकदमा:– अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
04.8.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं हाजिर। अपीलांट रेवंती ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील में अपीलांट आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है तथा अपनी अपील विड्रो करना चाहती है। अतः प्रार्थी को अपील विड्रो करने की अनुमति प्रदान करे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार द्वारा पहचान की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अपील आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया किया जाकर अपील विड्रॉ की जाने की अनुमति दी जाती है एवं अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका दि. 24.07.2025 द्वारा जैर प्रकरण भूमि तहसील सूरतगढ़ के रोही ढुकराना के खाता नं. 400/175 के खसरा नं. 341/77 की 5.5790 है० व खसरा नं. 343/77 की 2.517 है० खसरा नं. 600/190 की 3.795 है० इस प्रकार कुल 11.891 है० वारानी खातेदारी भूमि को रहन बेचान ना करने एवं मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखने बाबत जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दीनानाथ बब्बल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	अ.नि. रेवन्ती देवी ABYMC 04/08/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:21:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner